अलवर में कट्टा दिखाकर युवक का अपहरण, 60 किलोमीटर दूर नगर कस्बे में छोड़ा

पांच जनों ने आंखों पर पट्टी बांधकर भरतपुर के नगर में छोड़ा, युवक को पुलिस लेकर आई

अलवर, (निसं)। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में बड़ाया मेडिकल के पास कार में सवार होकर आए पांच जने युवक का अपहरण कर भरतपुर ले गए, जिसका स्कूटर भी कोई अन्य व्यक्ति लेकर गया। परिजनों को शक होने पर पुलिस को शिकायत दी। पुलिस करीब पांच घंटे बाद युवक को अलवर से करीब 60 किलोमीटर दूर नगर से लेकर आई। अब पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करेगी।

एनईबी निवासी पीड़ित युवक गौरव मेहरा ने बताया कि शुक्रवार सुबह नौ बजे वह स्कूटर लेकर घूमने आया था। बडाया मेडिकल के पास कार से पांच जने आए। आते ही उसके आगे कार लगाकर रोक लिया। उनमें एक जने ने हथियार निकाल लिया। जान से मारने की धमकी दी। तुरंत कार में पटक लिया। सबने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। फिर कार से अनजान जगह ले गए। घर नहीं लौटा और मोबाइल नहीं लगा तो परिजनों को शक हुआ।

- **पीड़ित का कहना है पांच जनों में से दो उसके रिश्तेदार हैं, जिनको वह जानता भी है**
- **पुलिस का कहना है कि आपस में लेनदेन का मामला हो सकता है, परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच होगी**

उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने जानकारी लेने के बाद पड़ताल करना शुरू कर दिया। करीब पांच घंटे बाद युवक को बदमाश भरतपुर में नगर कस्बे में छोड़कर भाग गए। आंखों पर पट्टी बांध कर लेकर आए थे।

पीड़ित युवक गौरव ने बताया कि पांच जनों में से दो उसके रिश्तेदार हैं। जिनको वह जानता भी है। उनमें से रोहित ओर सतीश दूर की रिश्तेदारी में लगते हैं। उन्होंने ही अन्य तीन जनों को साथ लेकर अपहरण की घटना को अंजाम दिया है।

थाने के एएसआई फतेह सिंह का कहना है कि इनका आपस में लेनदेन का मामला हो सकता है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच होगी। फिलहाल पीड़ित गौरव को नगर से लेकर आया गया है। मामले की जांच कर रहे हैं।

कोटा में चाकू मारकर की युवक हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। महावीर नगर थाना इलाके में चाकू से हमला कर युवक की हत्या के मामले में पुलिस टीम ने घटना के कुछ ही घंटों में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गये आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ शुरु कर अनुसंधान जारी है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि महावीर नगर इलाके के हरिओम नगर में गुरूवार रात्रि को चाकू मारकर युवक की हत्या का मामला सामने आया, मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके पर एफएसएल एवं एमओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किये गये। शहर एसपी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में थाने के उपनिरीक्षक कमल किशोर के नेतृत्व में टीम गठित की गई।

गठित टीम ने मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिये उसके निवास स्थान सहित संभावित स्थानो पर दबिश दी। एसपी ने बताया कि पुलिस टीम आरोपी की तलाश कर रही थी। उसी दौरान टीम को आरोपी के नयागांव की तरफ छिपे होने की सूचना मिली, उक्त सूचना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दबिश देते हुए केशोरायपाटन हाल ज्ञान सरोवर कॉलोनी निवासी नरेन्द्र पांचाल उर्फ नन्दा (26) को गिरफ्तार किया, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि हत्या के मामले में मृतक की पत्नी फरियादिया खुशबु ने थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि उसका पति शब्बीर अली बोर्डर चौराहे पर ठेला लगाता था।

गुरूवार रात्रि को जब उसका पति घर पर आया तो उसके पीछे नरेन्द्र पॉचाल उर्फ नन्दा भी आया और उसके पति को आवाज देकर बाहर बुलाया और किसी के घर का पता पूछने लगा जब उसके पति ने कहा कि उसको पता नहीं मालूम तो नरेन्द्र ने उसके पति शब्बीर अली के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिये और मौके से फरार हो गया। हमले में घायल उसके पति शब्बीर की मौत हो गई। शहर एसपी ने बताया कि फरियादिया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए हत्या के आरोपी नरेन्द्र उर्फ नन्दा को गिरफ्तार किया गया।

हाईकोर्ट : भोपा नायक वर्गीकरण पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने के आदेश

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने भोपा नायक समुदाय के वर्गीकरण से जुड़े मामले में राज्य सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। याचिका में दावा किया गया है कि भोपा कोई जाति नहीं बल्कि एक पेशा है, इसलिए इसे ओबीसी में शामिल करना गलत है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम निर्णय से पहले आयोग की रिपोर्ट जरूरी है। यह मामला 2013 के उस फैसले को चुनौती देता है, जिसमें नायक (भोपा) को अनुसूचित जाति से हटाकर ओबीसी में शामिल किया गया था।

- **राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया**

यह सुनवाई न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधीश संदीप शाह की खंडपीठ के समक्ष हुई। मामले में याचिकाकर्ता रामचरण ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि भोपा कोई जाति नहीं है, बल्कि यह एक पारंपरिक पेशा है, जिसे नायक समुदाय के लोग निभाते हैं, इसलिए इसे जाति के रूप में मान्यता देकर ओबीसी वर्ग में शामिल करना न्यायसंगत नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। सरकार का कहना है कि यह रिपोर्ट यह स्पष्ट करने में मदद करेगी कि आयोग के गठन से पहले भोपा नायक समुदाय की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या रही है। यानी, इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय करना आसान होगा कि समुदाय को किस वर्ग में रखा जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार की इस मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले में किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट बेहद जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना तथ्यात्मक और आधिकारिक रिपोर्ट के इस तरह के संवेदनशील सामाजिक मुद्दे पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसी कारण राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई

डूंगरपुर, (निसं)। स्वच्छ भारत मिशन शहर प्रदेश ब्रांड एंबेसडर और और पूर्व सभापति के. के. गुप्ता के मार्गदर्शन में नगर के सभी निजी और सरकारी विद्यालय में विद्यार्थी तथा शिक्षकों को स्वच्छता का संदेश देते हुए शपथ दिलाने का अभियान जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को शहर के स्कूलों में शपथ दिलाई गई। वहीं विजय जैन द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में चिराग व्यास, कपिल भट्ट, गिरीश पंड्या, प्रतिभा जेम्स, वीरेंदर सिंह सिसोदिया मौजूद रहे। दोनों विद्यालय के संस्था प्रधान और शिक्षक मौजूद रहे। संचालन चिराग व्यास ने एवं आभार राजेश डेंडू ने ज्ञापित किया।

ट्रेन से ट्रैक्टर-ट्रॉली टकराई तो चोरी की रिपोर्ट लिखाने पहुंचा चालक

जल्दबाजी में खुद ने ही पटरी पर चढ़ाई थी ट्रैक्टर-ट्रॉली, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

बीकानेर, (निसं)। एक किसान ने जल्दबाजी में ट्रैक्टर-ट्रॉली ट्रैक पर चढ़ा दी। ट्रेन आती देख कूदकर दूर भाग गया। ट्रैक्टर-ट्रॉली ट्रेन से टकरा गई। हादसे की जिम्मेदारी से बचने के लिए आरोपी थाने भी पहुंच गया और बोला कि ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी हो गई है। मामला खुलने के बाद रेलवे पुलिस ने शुक्रवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। हादसा 7 अप्रैल (मंगलवार) की रात सूडसर-नापासर स्टेशन के बीच हुई थी।

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि नारसीसर (बीकानेर) निवासी किसान कान सिंह सात अप्रैल को ट्रेक्टर-ट्रॉली लेकर निकला था। सूडसर-नापासर के बीच पिलर 419/06 के पास उसने पटरी क्रॉस करने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रैक पर चढ़ा दिया। इस दौरान यहां से ट्रेन (12371) गुजरी। जानकारी के अनुसार सामने से आती रेल को देखकर भी कान सिंह ने रुकने के बजाय ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाकर पहले

- **हादसे की जिम्मेदारी से बचने के लिए आरोपी थाने भी पहुंच गया और बोला कि ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी हो गई है**

निकलने की कोशिश की। ट्रैक से ट्रैक्टर को निकल गया लेकिन ट्रॉली पटरी पर फंस गई। कान सिंह ट्रैक्टर से कूदकर दूर हो गया और ट्रॉली ट्रेन से टकरा गई। लापरवाही कान सिंह की जान पर भी भारी पड़ सकती थी। ट्रेन को भी नुकसान हो सकता था। खुद की गलती से हादसा हुआ तो कान सिंह पुलिस से बचने का उपाय सोचने लगा। हादसे के बाद कान सिंह रेलवे पुलिस थाने पहुंचा और बताया कि मेरी ट्रॉली और ट्रैक्टर चोरी हो गए हैं। आरपीएफ अधिकारियों को उसकी बात पर शक हुआ। कान सिंह से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया। बोला कि मैं खुद ही स्पीड में निकालने की कोशिश में था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंडल सुरक्षा आयुक्त संजय पीसे के निर्देश पर निरीक्षक सुभाष बिश्नोई के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम ने तकनीकी सबूतों और सूचना तंत्र की मदद से कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर चालक कान सिंह पुत्र लिछमण सिंह निवासी नारसीसर को गिरफ्तार कर लिया। आरपीएफ ने कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली को भी जब्त कर लिया। आरपीएफ थाने में उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

रेलवे सुरक्षा बल की ओर से ग्रामीण इलाकों में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को रेलवे लाइन पार न करने और मवेशियों-वाहनों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने की सलाह दी जाती है।

हाईवे पर ट्रोला पलटा

पावटा, (निसं)। पावटा के मांगल्या वाली प्याऊ के पास दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा एक ट्रोला जिसका नंबर -58--3670 है अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों-बीच पलट गया।

बताया जा रहा है कि अज्ञात ट्रोला चालक द्वारा साइड दबाने के कारण यह हादसा हुआ। ट्रोला पलटने से उसमें भरी प्लाई (सामान) सड़क पर बिखर गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि, सड़क पूरी तरह बंद नहीं हुई और वाहनों का आवागमन चालू रहा। गनीमत रही कि इस हादसे में ट्रोला चालक कमरू खान मेव को कोई चोट नहीं आई।

प्लांट से लाखों का कॉपर व ऑयल चोरी

पावटा, (निसं)। क्षेत्र के प्रागपुरा थाना इलाके में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। टसकोला निवासी जितेन्द्र यादव ने पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया कि कुछ दिन पहले लाडाकाबास उनकी कॉमर्शियल भूमि पर लगे एम सैंड प्लांट से अज्ञात बदमाश डीपी तोड़कर लाखों रुपये का कॉपर व ऑयल चोरी कर ले गए।

पीड़ित जितेन्द्र यादव पुत्र भैरुलाल यादव ने बताया कि उनकी फर्म हुल्डा इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के नाम से लाडाकाबास क्षेत्र में खसरा नंबर 19 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जहां उन्होंने एम सैंड प्लांट स्थापित कर रखा है। प्लांट संचालन के लिए मौके पर थ्री फेज बिजली कनेक्शन के साथ डीपी (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर) भी लगा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, 6 अप्रैल की देर रात अज्ञात चोरों ने प्लांट परिसर में घुसकर डीपी को तोड़ दिया और उसमें से कॉपर व ऑयल निकालकर चोरी कर ले गए। चोरी की इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। बदमाश डीपी के अवशेष मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सिंधी भाषा में संविधान पुस्तक का विमोचन

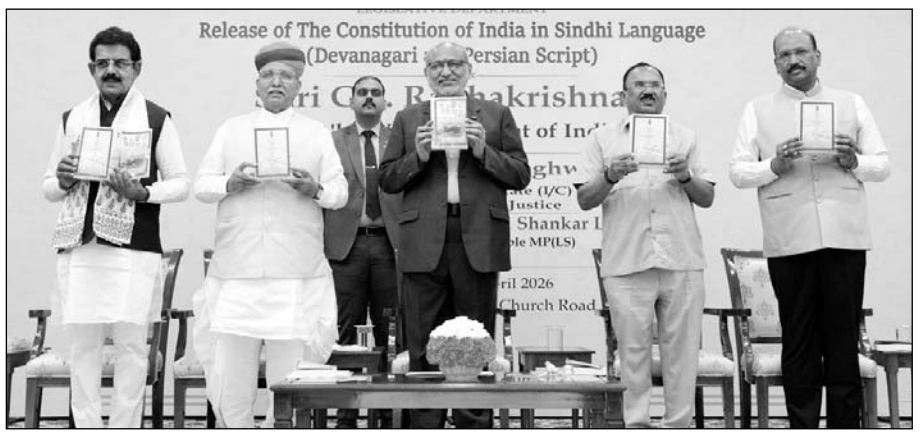

उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में भारतीय संविधान की सिंधी भाषा में प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया।

नई दिल्ली/अजमेर, (निसं)। देश के सिंधी भाषी समुदाय के लिए ऐतिहासिक क्षण तब आया जब उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में भारतीय संविधान की सिंधी भाषा (देवनागरी एवं फारसी लिपि) में प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में वासुदेव देवनानी ने कहा कि सिंधी समुदाय ने विभाजन के बाद भी अपनी सांस्कृतिक पहचान और देशभक्ति को बनाए रखा है। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में सिंध क्षेत्र पुन: भारत का अभिन्न हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज ने कभी स्वयं को शरणार्थी नहीं, बल्कि पुरुषार्थी माना है और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि संविधान की आठवीं अनुसूची में 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था और अब इसका देवनागरी व फारसी लिपि में अनुवाद होना अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह में देशभर से सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस पहल को समुदाय की पहचान और गौरव से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया।

कोटा में 33 किलो डोडा-चूरा सहित दो तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान मुखबीर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ 33 किलो 550 ग्राम अफीम डोडा-चूरा सहित दो अन्तर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के विरूद्ध कार्रवाई के लिये विशेष अभियान ऑपरेशन गरूड्व्यूह चलाया जा रहा है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध कार्रवाई के लिये पुलिस उप अधीक्षक डॉ. पूनम के सुपरविजन मे रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिये गये। शहर एसपी ने बताया कि रेलवे कॉलोनी थाने के उपनिरीक्षक रामसिंह मय जाब्ता इलाके में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि टीटीई विश्राम गृह के पास दो संदिग्ध व्यक्ति घूम रहे हैं, उक्त सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दोनों व्यक्ति पुलिस जाब्ता को देखकर घबरा गये। पुलिस ने संदेह होने पर दोनों को डिटेन कर उनके पास मौजूद बैगों की तलाशी ली तो दोनों के पास मौजूद बैगों में अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए जिला कासगंज उत्तरप्रदेश हाल जयपुर के हसनपुरा निवासी शाहरूख (25) एवं जिला कासगंज उत्तरप्रदेश हाल पटौनी झज्जर के लोहारी गांव निवासी सूरज (20) को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने पकड़े गये दोनों आरोपियों में से शाहरूख के पास से 18 किलो 550 ग्राम एवं आरोपी सूरज के पास से 15 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा-चूरा जब्त किया। दोनों के पास से कुल 33 किलो 550 ग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया है, पकड़े गये दोनों आरोपियों से अनुसंधान जारी है।

शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये दोनों आरोपी मित्र है, तथा काफी समय से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। मामले में सामने आया कि दोनों आरोपी मध्यप्रदेश के नीमच से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा खरीदकर बस से कोटा आते और ट्रेन से जयपुर पहुंचते, जहां मादक पदार्थ की छोटी-छोटी पुड़ियां बनाकर अवैध बिक्री करते थे। आरोपी अवैध मादक पदार्थ को बैगों में छिपकर परिवहन करते थे।

ठगी के मामले में हिस्ट्रीशीटर सहित दो आरोपियों को पकड़ा

फरार साथियों की तलाश जारी

चिड़ावा/झुंझुनूं, (निसं)। शेखावाटी क्षेत्र में संगठित ठगी और आपराधिक गिरोहों के हौसले एक बार फिर सामने आए हैं। चिड़ावा थाना पुलिस ने सोना बेचने का झांसा देकर गुजरात के व्यापारी से करीब सात लाख रुपये की ठगी करने और उसे बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले का पर्दाफाश करते हुए कुख्यात हिस्ट्रीशीटर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी सुलताना थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर रजनीश डारा और उसका साथी नितिश कुमार पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।

जानकारी के अनुसार पीड़ित मेहुल भाई कातरिया, जो सोना खरीदने-बेचने का काम करते हैं, को फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आरोपी रजनीश डारा ने संपर्क किया। आरोपी ने 60 ग्राम सोना होने और बैंक

- **सोना दिलाने के नाम पर सात लाख की ठगी और व्यापारी को बंधक बनाने का मामला**

में गिरवी होने की बात कहकर सौदा करीब 7 लाख रुपये में तय किया और पीड़ित को चिड़ावा बुला लिया। चिड़ावा पहुंचने के बाद आरोपी ने पीड़ित को बैंक ले जाकर गोल्ड लोन जमा कराने के नाम पर 6,66,636 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद कोर्ट स्टांप पर लिखापढ़ी कर विश्वास भी जीत लिया। अगले दिन आरोपी पीड़ित को चेक लाने के बहाने एक सुनसान खंडहर में ले गया, जहां पहले से मौजूद 3-4 बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया और करीब एक घंटे तक बंधक बनाकर रखा तथा मारपीट की और धमकियां दी और फोन-पे के जरिए 37 हजार रुपये और ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को बिना नंबर की गाड़ी में डालकर सुनसान रास्तों से होते हुए हाईवे के पास फेंक दिया।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यूको बैंक पहुंचकर रिकॉर्ड खंगाले। इसी दौरान आरोपी बैंक में ठगी की रकम निकालने पहुंचे, लेकिन पुलिस और पीड़ित को देखकर भागने लगे। लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया। मुख्य आरोपी रजनीश डारा पर हत्या के प्रयास , लूट , मारपीट सहित दो दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का अंदाजा लगाया जा सकता है। थानाधिकारी अम्बिका चौधरी के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस अब फरार अन्य आरोपियों की तलाश और ठगी की राशि बरामदगी में जुटी है।

उदयपुर नगर निगम ने आधी रात में 40 पेड़ों को कटने से बचाया

पेड़ों को काटा नहीं गया, बल्कि नई जगह निगम के ही गार्डन में लगाने के लिए शिफ्ट किया गया

उदयपुर, (कासं)। नगर निगम की स्मार्ट प्लानिंग के चलते गुरुवार रात को शहर के सबसे व्यस्त उदियापोल चौराहा से 15 साल पुराने करीब 40 पेड़ों को कटने से बचा लिया गया। इन पेड़ों को उखाड़ा नहीं गया बल्कि उन्हें नई जगह नगर निगम के ही गार्डन में लगाने के लिए शिफ्ट किया गया।

गौरतलब है कि आमतौर पर जब शहरों में पुल या सड़कें बनती हैं, तब सबसे पहले पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलती है, लेकिन उदयपुर नगर निगम ने इन पेड़ों को शिफ्ट कर एक नई मिसाल पेश की है। रात के 11 बज नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक खन्ना की निगरानी में इन पेड़ों को जड़ों समेत निकालने का काम शुरू हुआ। यह कोई मामूली काम नहीं था, क्योंकि इन पेड़ों को यहां से करीब एक किलोमीटर दूर निगम के बगीचे में सुरक्षित शिफ्ट करना था। बड़ी क्रेनों, जेसीबी व ट्रेलर से इस कार्य को अंजाम दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को

- **पूरे ऑपरेशन को डॉ. बीएल चौधरी के निर्देशन में नगर निगम की टीम ने किया, चौधरी को पेड़ों का जादूगर कहा जाता है**

डॉ. बीएल चौधरी के निर्देशन में नगर निगम की टीम ने रात 11 बजे रेस्क्यू शुरू किया था। इन्हें पेड़ों का जादूगर कहा जाता है जो अब तक देश-दुनिया में 15 हजार से ज्यादा पेड़ों को नई जिंदगी दे चुके हैं। उनकी देखरेख में एमएम एग्रोटेक की टीम ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की। सबसे पहले पेड़ों के चारों तरफ तीन से चार फीट गहरा खड्डा खोदा गया। कोशिश यह थी कि पेड़ की जड़ें और उनके साथ लगी मिट्टी सुरक्षित रहे। जब पेड़ अपनी मिट्टी के साथ पूरी तरह ढीला हो गया तो क्रेन की मदद से उसे बहुत धीरे से उठाकर ट्रेलर पर लिटाया और शिफ्ट किया गया। निगम के गार्डन में इन पेड़ों के लिए घर पहले से तैयार था। वहां सात-आठ फीट गहरे और चौड़े गड्ढे खोदकर उनमें खाद-मिट्टी डाल दी गई थी। जैसे ही पेड़ वहां पहुंचे, उन्हें क्रेन से उतारकर सीधे नए गड्ढों में शिफ्ट कर दिया गया। पेड़ों को उनकी 90 फीसदी जड़ों के साथ निकाला गया था। ये नई जगह पर बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना लेंगे।

जानकारी के अनुसार उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से कलैक्टर बंगले तक 136 करोड़ की लागत से 2.7 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है। उदियापोल चौराहे के ठीक बीच में रोड के पिलर बनने हैं। 117 पिलर्स पर यह रोड बनेगा। ऐसे में वहां खड़े पेड़ों को हटाना मजबूरी थी। नगर निगम चाहता तो इन पेड़ों को चंद घंटों में काटकर रास्ता साफ कर देता लेकिन उन्होंने पेड़ों को नई जिंदगी देने का फैसला किया। इनमें ज्यादातर पाम ट्री हैं जो चौराहे की शान बढ़ा रहे थे। अब ये पेड़ नगर निगम के नेहरू बाल उद्यान की सुंदरता बढ़ाएंगे। जिन 40 पेड़ों को बचाया, उनमें से कई की कीमत बाजार में 2 लाख रुपए तक है। अगर इन सभी पेड़ों की कुल वैल्यू देखें तो यह 60 लाख रुपए से ज्यादा है। निगम ने सूझबूझ दिखाई और महज सवा लाख रुपए के खर्चे में इन लाखों के कीमती पेड़ों को बचा लिया। इन पेड़ों की शिफ्टिंग का काम अभी दो-तीन दिन तक लगातार चलेगा, ताकि एक भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचे।

निगम कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर के किसी भी निर्माण कार्य में पेड़ों को कम से कम नुकसान हो यह कोशिश हमेशा रहती है। उदियापोल के ये 15 साल पुराने पेड़ शहर की विरासत जैसे हैं। उदयपुर जैसे शहर के लिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है।

उदयपुर में विवाहिता की मौत पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया

दो घंटे तक हंगामे के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच का आश्वासन दिया

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर में विवाहिता की संदिग्ध हालत मौत के बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज पीहर पक्ष ने शुक्रवार को थाने का घेराव किया। प्रतापनगर थाना इलाके के बेडवास में दो अप्रैल को विवाहिता की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हुई थी। पीहर पक्ष पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा था। परिवार का आरोप है कि पति के किसी युवती से संबंध थे और बेटी द्वारा मोबाइल चैट देखने पर उसे टॉर्चर किया गया। बेटी के शरीर पर मारपीट के निशान थे। पुलिस के टालमटोल रवैये के बाद राजपूत समाज के संगठनों के बैनर तले महिलाओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। दो घंटे के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जल्द निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

- **परिवार का आरोप है कि पति के किसी युवती से संबंध थे और बेटी द्वारा मोबाइल चैट देखने पर उसे टॉर्चर किया गया था**
- **भावना के पिता ने बताया कि मौत के बाद एमबी हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम करवाया, लेकिन पुलिस उन्हें कुछ भी बता नहीं रही है, इस मामले में अब तक भावना के पति से पूछताछ तक नहीं हुई है**

जानकारी के अनुसार वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत समेत राजपूत करणी सेना के कई पदाधिकारी शामिल हुए। डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने परिजनों को समझाकर मामला शांत करवाया। मृतक भावना का पीहर वल्लभनगर क्षेत्र के मंदेरिया, दरौली गांव का है। उसकी शादी 13 महीने पहले बेडवास के हेमेन्द्र सिंह से हुई थी। बेडवास क्षेत्र की रहने वाली भावना कुंवर (19) पत्नी हेमेन्द्र सिंह को दो अप्रैल को तबीयत बिगड़ने के बाद निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पीहर पक्ष ने हत्या की आशंका जताई और एमबी हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम करवाया। मौत के बाद से लगातार पीहर पक्ष भावना के पति हेमेन्द्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने पर अड़ा था, मगर प्रतापनगर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया।

भावना के भाई अर्जुन सिंह ने बताया कि हेमेन्द्र की किसी युवती से दोस्ती थी। इस कारण वह झगड़ा करता था। लगातार नशे की हालत में भावना के साथ मारपीट करके टॉर्चर करता था। भावना को पीहर पक्ष में भी किसी से भी बात नहीं करने देता था। कई बार परिजनों ने आपसी समझाइश कर यह मामला शांत करवाया था। भावना के चाचा लालसिंह ने बताया 1 और 2 अप्रैल को भावना के साथ मारपीट की गई। भावना ने हेमेन्द्र के फोन में लड़कियों से की जा रही चैट को देख लिया था। परिजनों को बताया तो हेमेन्द्र ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। लालसिंह ने बताया कि भावना के तबीयत बिगड़ने के दिन भी हमने लगातार फोन किए लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पड़ोसियों से पता लगा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। जब तक हम लोग पहुंचे तो भावना होश में नहीं थी, उसके गले और हाथ-पांव पर मारपीट के निशान थे। हेमेन्द्र ने हमसे कुछ बात नहीं की और उसके परिजन भी मामले को दबाते रहे। भावना के पिता केसर सिंह ने बताया कि मौत के बाद एमबी हॉस्पिटल में पोस्टमॉर्टम करवाया, लेकिन पुलिस उन्हें कुछ भी बता नहीं रही है। इस मामले में अब तक भावना के पति से पूछताछ तक नहीं हुई है।